2025:CGHC:10618

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 2084/2024

1– अफसर अली पिता स्व. अली बख्श, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी– हल्दीबाड़ी, भैसा दफाई, थाना चिरमिरी, जिला–कोरिया, अब मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, छत्तीसगढ़

2– सुजीत कुमार दत्ता पिता सपन दत्ता, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी– कमलपुर, सिलफिली, राधा गोविंद मंदिर के पास, जिला–सूरजपुर, छत्तीसगढ़.

3–दामोदर दास उर्फ छोटू पिता स्व. श्री संतराम, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी–वार्ड क्रमांक 15, हीरगीर दफाई, हल्दीबाड़ी, चिरमिरी, थानाःचिरमिरी, ज़िला–कोरिया अब ज़िला– मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, छत्तीसगढ़

––– अपीलार्थीगण

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः थाना चिरमिरी, जिला कोरिया, अब जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, छत्तीसगढ़

––– प्रत्यर्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से : श्री आकाश वर्मा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी–राज्य की ओर से : श्री करण कुमार बहरानी, पैनल अधिवक्ता

माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश

बोर्ड पर निर्णय

04.03.2025

1. यह दाण्डिक अपील अपीलार्थी द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 38/2016 में दिनांक 03.10.2024 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें विद्वान सत्र न्यायाधीश, चिरमिरी, जिला–कोरिया, (छत्तीसगढ़) ने अपीलार्थी को निम्नानुसार दोषसिद्ध एवं दण्डित किया है:

दोषसिद्धि	दण्डादेश
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201/511 के अधीन	**अपीलार्थी क्रमांक 1 :** 109 दिवस का कारावास एवं 1,000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम पर 01 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास

	अपीलार्थी क्रमांक 2 : 41 दिवस का कारावास एवं 1,000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम पर 01 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास **अपीलार्थी क्रमांक 3 :** 12 दिवस का कारावास एवं 1,000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम पर 01 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास

2. अभियोजन का प्रकरण, संक्षिप्त में, यह है कि पिंकी उर्फ़ सलमा (मृतका), जो ग्रैंड न्यूज़, हल्दीबाड़ी, चिरमिरी में कार्यरत थी ने दिनांक 16.12.2015 को अपने कमरे में अपने दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना/रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस ने मर्ग क्रमांक 52/2015 दर्ज किया, अन्वेषण किया गया एवं तत्पश्चात, अभियुक्त (आशीष घरामी) के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए अपराध क्रमांक 437/2015 के अधीन प्रकरण दर्ज किया, क्योंकि आरोप है कि अभियुक्त आशीष घरामी, जो मृतका के साथ उक्त ग्रैंड न्यूज़ चैनल में भी कार्यरत था, ने मृतका को चैनल के अन्य कर्मचारियों के समक्ष यह कहकर अपमानित किया कि वह दुश्चरित्र कन्या है। अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत, अभियुक्त आशीष घरामी उर्फ बाबोन के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए अधिकारिता वाले दाण्डिक न्यायालय में अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. तत्पश्चात, वर्तमान अपीलार्थीगण के साथ–साथ अन्य अभियुक्तों (डॉ. आरआर गजभिये, अब्दुल सलीम खान और जयसिंह राघव उर्फ जैकी) के विरुद्ध एक पूरक अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया और उसके आधार पर, विचारण न्यायालय ने वर्तमान अपीलार्थीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306/34, 120 ख, 201 के अधीन आरोप विरचित किए।

4. अभियोजन ने अपना प्रकरण साबित करने के लिए कुल 26 साक्षियों का परीक्षण कराया। अपीलार्थीगण (अभियुक्तों) के कथन भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध प्रस्तुत समस्त अभियोगात्मक साक्ष्यों को अस्वीकार किया और स्वयं को निर्दोष तथा झूठे आरोप में फंसाए जाने का अभिवाक किया।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने और अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों की विवेचना करने के उपरांत, विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के अधीन अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को इस निर्णय के पैरा–1 में वर्णित रीति से दोषसिद्ध एवं दण्डित किया, तथापि, अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306/34 के अधीन अपराध से दोषमुक्त कर दिया। अतः यह अपील प्रस्तुत की गई है।

6. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आक्षेपित निर्णय अपने आप में अवैध है और अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों के विपरीत है। विचारण न्यायालय यह विवेचन करने में असफल रहा कि वर्तमान अपीलार्थीगण के विरुद्ध आरोप मृतका को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने और साक्ष्य नष्ट करने का था, दोनों अपराध एक–दूसरे से संबंधित होने के कारण, वर्तमान अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201/511 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध करना अवैध था, जबकि उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के मूल अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया था। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी की कि वर्तमान अपीलार्थी प्रारंभ में अभियोजन के प्रकरण का समर्थन कर रहे थे और उन्हें पहले के अभियोग–पत्र में अभियोजन साक्षी के रूप में उद्धृत किया गया था, जो अभियुक्त आशीष घरामी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन के प्रकरण में कई महत्वपूर्ण विरोधाभास और लोप हैं। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे ज्ञात हो कि वर्तमान अपीलार्थी डॉ. आर.आर. गजभिये के साथ आपराधिक षडयंत्र में सम्मिलित थे और मृतक को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने एवं स्वयं को दण्ड से बचाने के लिए साक्ष्यों को नष्ट करने का प्रयत्न किया। अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि डॉ. आर.आर. गजभिये ने वर्तमान अपीलार्थीगण को बचाने के लिए मृतक का शवपरीक्षण नहीं किया था। अभियोजन साक्षियों के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास और लोप हैं। अतः अपीलार्थीगण को दी गई दोषसिद्धि एवं दण्डादेश का आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क किया कि विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत हैं जो दर्शाते हैं कि वर्तमान अपीलार्थी मृतक को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने एवं स्वयं को दण्ड से बचाने के लिए साक्ष्य नष्ट करने के आपराधिक षड्यंत्र में सम्मिलित हैं और इसलिए वर्तमान अपील खारिज किए जाने योग्य है।

8. संबंधित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना और अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों का परिशीलन किया।

9. यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि विचारण न्यायालय ने पूर्व ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 06/34 के अधीन मुख्य अपराध में अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया है। जब अभियुक्तों को मुख्य अपराध, अर्थात् आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के प्रकरण में दोषमुक्त कर दिया गया है, तो उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201/511 के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, वह शव जिसे छिपाया गया था "अपराध का सार" है को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के प्रकरण में पहले प्रमाणित किए बिना सिर्फ शव को छिपाया तो भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन कोई अपराध नहीं बनता है।

10. फलस्वरूप,अपील स्वीकार की जाती है एवं दिनांक 03.10.2024 को पारित आक्षेपित निर्णय(अनुलग्नक ए–1)को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201/511 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

1. इस निर्णय की प्रतिलिपि सहित विचारण न्यायालय का अभिलेख अनुपालनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रतिप्रेषित की जाए।

सही/–

(अरविंद कुमार वर्मा)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**